न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
07 / 2016 / प्रा.पत्र / 2016	08.01.2016	06.01.2022

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1—श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री मोहन लाल विजय जाति महाजन निवासी 2 / 536 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी टोंक जिला टोंक मैसर्स महावीर किराणा स्टोर बमोर रोड बालाजी के मन्दिर के सामने टोंक जिला टोंक
2— मैसर्स महावीर किराणा स्टोर बमोर रोड बालाजी के मन्दिर के सामने टोंक जिला टोंक

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित—
1—प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2—श्री श्री राजेन्द्र कुमार जाट,अभिभाषक अप्रार्थी उपस्थित

दिनांक 06.01.2022

:—निर्णय—:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 18.10.2015 को समय 5.00 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स महावीर किराणा स्टोर बमोर रोड बालाजी के मन्दिर के सामने टोंक जिला टोंक पर पहुंचां। प्रोपरायटर की हैसियत से श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री मोहन लाल विजय जाति महाजन निवासी 2 / 536 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी टोंक जिला टोंक मैसर्स महावीर किराणा स्टोर बमोर रोड बालाजी के मन्दिर के सामने टोंक जिला टोंक खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र ऑनलाईन आवेदन करना बताया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि [illegible] ता को विक्रय हेतु दुकान मे **नमकीन (दुर्गा ब्राण्ड)** रखा हुआ था, [illegible] निरीक्षण [illegible] मिलावट की शंका होने पर. विकेता श्री महावीर प्रसाद को गवाह [illegible] फार्म नं [illegible] में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.03.16 14:52:49 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता महावीर प्रसाद एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान मे 400–400 ग्राम पैक के लगभग 18 पैकेट पैक्ड अवस्था मे **नमकीन (दुर्गा ब्राण्ड)** रखे हुये मे से 400–400 ग्राम के 8 पैकेट वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता. श्री महावीर प्रसाद को रू0 240/–अक्षरे दौ सौ चालीस रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **नमकीन (दुर्गा ब्राण्ड)** 400–400 ग्राम के 8 पैकेट को दो–दो पैकेट के बराबर–बराबर चार भाग तैयार कर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–1134 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–1134 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता. महावीर प्रसाद के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक खाघ सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2015/4414 दिनांक 26.11.2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाघ सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/740/एक्ट/2015/722 दिनांक 30.10.2015 अनुसार महावीर प्रसाद से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **नमकीन (दुर्गा ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण **द्वारा मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का **नमकीन (दुर्गा ब्राण्ड)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 [illegible]।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अ[illegible] किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया [illegible] अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.03.16 14:52:49 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जिला म.

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

किया कि अप्रार्थी जिस **नमकीन (दुर्गा ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **नमकीन (दुर्गा ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 (सहपठित धारा 49)के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री मोहन लाल विजय जाति महाजन निवासी 2/536 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी टोंक जिला टोंक मैसर्स महावीर किराणा स्टोर बमोर रोड बालाजी के मन्दिर के सामने टोंक जिला टोंक पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 06.01.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

6.1.2022

(मुरारी लाल शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.03.16 14:52:49 IST
Reason: SelfAttested